इन्फ्रॉस्ट्रक्चर उप-समिति की बैठक का कार्यवृत

आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे विश्राम कक्ष में इन्फ्रॉस्ट्रक्चर उप-समिति की बैठक दोपहर 01:30 बजे सम्पन्न की गयी है। बैठक में समिति के सदस्य श्रीमती सोनाली पूनिया, सिविल जज सीनियर डिवीजन बागपत एवं सुश्री निधि वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत उपस्थित आयें। केन्द्रीय नाजिर द्वारा ए.सी. एवं फ्रिजों की सर्विस/मरम्मत से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत की गयी।

जनपद न्यायालय बागपत में न्यायालय कक्षों, विश्राम कक्षों एवं ट्रांजिट हास्टल में स्थापित ए.सी. एवं फ्रिजों की सर्विस/मरम्मत के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 577/इंफ्रा. सेल इलाहाबाद दिनांकित 25.04.2025 पर पारित माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 25.04.2025 के अनुपालन में उक्त ए.सी. एवं फ्रिजों की सर्विस/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा विचार विर्मश किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनपद न्यायालय बागपत में स्थापित फ्रिज एवं ए.सी. की सर्विस/मरम्मत निविदा प्रक्रिया द्वारा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

जनपद न्यायालय बागपत में स्थापित ए.सी. एवं फ्रिजों का विवरण निम्नवत हैः-

जनपद न्यायालय परिसर में स्थापित ए.सी. एवं फ्रिज का विवरण

क्रं सं	स्थान	स्पिलिट ए.सी.	विंडो ए.सी.	फ्रिज
01	न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष	42	0	0
02	मीटिंग हॉल	02	01	0
03	किचन, मीटिंग हॉल	0	0	2
04	कम्प्यूटर सर्वर रूम	02	01	0
05	वी.सी. रूम	03	0	0
06	वेटिंग हॉल, जिला एवं सत्र न्यायालय	01	0	0
07	मीटिंग हॉल, ट्रांजिट हॉस्टल	03	0	0
08	डायनिंग हॉल, ट्रांजिट हॉस्टल	02	0	0
09	किचन, ट्रांजिट हॉस्टल	0	0	02
10	वी. आई. पी. सूईट संख्या-01,ट्रांजिट हॉस्टल	02	01	01
11	वी.आई.पी. सूईट संख्या-02, ट्रांजिट हॉस्टल	02	0	01
12	सामान्य 06 सूईट ट्रांजिट हॉस्टल	0	12	06
	कुल योग	**59**	**15**	**12**

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इंफ्रा. उप-समिति बागपत द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु जनपद न्यायालय बागपत में स्थापित ए.सी. एवं फ्रिजों की मरम्मत का कार्य निविदा प्रक्रिया द्वारा कराने का निर्णय लिया गया जिसके लिये भौतिक निरीक्षण के उपरान्त निविदा आमंत्रित किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है। निविदा हेतु इच्छुक फर्म दिनांक 16.06.2025 से पूर्व जनपद न्यायालय बागपत में स्थापित ए.सी. एवं फ्रिजों का भौतिक निरीक्षण करते हुये निविदा न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निविदा हेतु नियम व शर्तें निम्नवत हैः-

01. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायालय बागपत में ए.सी. एवं फ्रिज की मरम्मत/सर्विस हेतु निविदा वित्त पथ अंक 2011 के भण्डार-क्रय नियम पैरा 11 व 12 में निहित प्राविधानों के अधीन दिनांक 16.06.2025 तक आमंत्रित की जाती है। निविदाएं सील्ड बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जायेंगी।
02. निविदा प्रस्तुत करने वाले फर्म/दुकानदार को निविदा के साथ स्वयं का आधार कार्ड/पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

03. सभी प्राप्त निविदाएं दिनांक 17.06.2025 को इंफ्रा. समिति के समक्ष सायं 04:00 बजे जनपद न्यायालय बागपत के सभागार कक्ष में खोली जायेंगी। उक्त तिथि को निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/दुकानदार आदि स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते है।

04. जनपद न्यायालय बागपत में फ्रिज एवं ए.सी. की सर्विस/मरम्मत के कार्य हेतु सभी नियम व शर्तों की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है।

05. धरोहर धनराशि प्रस्तुत निविदा की कुल धनराशि के सापेक्ष कुल 2 प्रतिशत, निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत की जायेगी।

06. निविदा आवेदन फार्म केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय बागपत से धनराशि अंकन 100/- रूपये जमा कर प्राप्त किये जा सकते है।

07. निर्धारित फार्म के अतिरिक्त अन्य प्रारूप पर प्रेषित की गयी निविदायें स्वीकार्य नहीं होंगी।

08. ए.सी. एवं फ्रिजों की मरम्मत/सर्विस का कार्य स्थल जनपद न्यायालय बागपत रहेगा।

09. ए.सी. एवं फ्रिजों की मरम्मत/सर्विस के कार्य की समस्त जिम्मेदारी निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/दुकानदार की होगी।

10. ए.सी. एवं फ्रिजों की मरम्मत/सर्विस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय बागपत होगा।

11. फर्म द्वारा ए.सी. व फ्रिज का भौतिक निरीक्षण करने हेतु न्यायालय द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

12. दिनांक 16.06.2025 को सायं 04:00 बजे के पश्चात कोई निविदा स्वीकर नहीं की जायेगी।

13. सभी निवदायें स्वीकार अथवा अस्वीकर करने का अधिकार अंतिम रूप से माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत का होगा।

उपरोक्त नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

Nidhi 16/05/2025 | 16/5/25 | 16/05/25.

(निधि वर्मा)
सदस्य इंफ्रा उप-समिति
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागपत।

(सोनाली पूनिया)
सदस्य इंफ्रा उप-समिति/
सिविल जज सीनियर डिवीजन,
बागपत।

(पवन कुमार राय)
अध्यक्ष इंफ्रा उप-समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय संख्या-01 बागपत।

Approved.
17.05.25
District Judge
Baghpat